उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,

संख्या-50/2015/2544/92-1-2015-31(अधि0)/2014,

दिनांक: लखनऊ: 08 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के अधीन आने वाले प्रदेश के विस्तृत भू-भाग में विभागीय निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्वक मानकों के अनुसार कराये जाने, निर्माण कार्यों के निरीक्षण व उनके अनुश्रवण को गतिशीलता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत शासकीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से श्री राम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से एतद्द्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2307/92-1-2014-31(अधि0)/2014, दिनांक 23-07-2014 द्वारा श्री राम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता, सम्बद्ध कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अब केवल मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कर्तव्यों एवं दायित्वों का पूर्ववत् रूप से निर्वहन किया जाता रहेगा। इस हेतु श्री सिंह को कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ता देय नहीं होगा।

3- उक्त नितान्त कामचलाऊ एवं अस्थायी प्रबंधन व्यवस्था मुख्य अभियन्ता के पद पर तैनाती होने अथवा शासन के अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा।

डा0 प्रभात कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या-50/2015/2544(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन मण्डल, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, विन्ध्याचल एवं इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।।
7- विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ht p:// hasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।